न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौमू (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– संतोष करोल

मु.न. 07/2019

उनवान

कैलाशचन्द पुत्र श्री जगदीश, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम अनन्तपुरा, तहसील चोमू, जिला जयपुर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
2. गजानन्द पुत्र नाथूलाल
3. बनवारी पुत्र नाथूलाल
4. बंशीधर पुत्र नाथूलाल
5. बाबूलाल पुत्र नाथूलाल
   समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम अनन्तपुरा, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
6. गुलाब देवी पत्नी हनुमान सहाय
7. दिनेश पुत्र हनुमान
8. प्रहलाद पुत्र हनुमान
9. भगवान सहाय पुत्र जोधाराम
10. रूकमा पुत्री हनुमान
11. सुरेश पुत्र हनुमान
   समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम अनन्तपुरा, तहसील चोमू, जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांकः– 05.07.2019

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी ने निवेदन किया है कि वाके ग्राम अनन्तपुरा, पटवार हल्का अनन्तपुरा, भू.अभि.निरीक्षक क्षेत्र मोरीजा, तहसील चोमू, जिला जयपुर में भूमि खसरा नम्बर 172 रकबा 0.78 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 191 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 193 रकबा 0.55 हैक्टेयर कुल किता 5 का कुल रकबा 2.05 हैक्टेयर स्थित हैं। जिनमें प्रार्थी का हक हिस्सा निहित हैं। उक्त भूमियों पर प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं तथा वर्तमान में भी कर रहा हैं।

वाके ग्राम अनन्तपुरा, पटवार हल्का अनन्तपुरा, भू.अभि.निरीक्षक क्षेत्र मोरीजा, तहसील चोमू, जिला जयपुर में स्थित भूमि 190, 194, 2928/174, 2930/175,

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

2932/176, 2934/178, 2935/195 कुल किता 7 का कुल रकबा 0.745 हैक्टेयर की खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा प्रार्थी की भूमि के चारों ओर अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 की भूमि स्थित है तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 प्रार्थी के पडौसी खातेदार काश्तकार हैं।

प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 26.03.2019 को श्रीमान तहसीलदार के आदेश क्रमांक/भू.अ./2019/1146 दिनांक 18.03.2019 की पालना में ग्राम अनन्तपुरा के खसरा नम्बर 172, 173, 188, 191, 193 किता 05 के मौके पर मय राजस्व रिकॉर्ड के पहुंचा। मौके पर काश्तकार उपस्थित मिले। मौके पर प्रार्थी उक्त खसरा नम्बरान 172, 173, 188, 191, 193 की चारों सीमाओं तीनों गै.मु. चाहों को पुख्ता मानकर खसरा नम्बर 172, 173, 188, 191, 193 की चारों सीमाओं को बारी–बारी से फीता चलाकर सीमाज्ञान करवाया गया। आराजी खसरा नम्बर 190, 191 एवं खसरा नम्बर 193 व 194 के मध्य मेड पर विवाद होना पाया गया। शेष खसरा नम्बर 172, 173, 188 पर किसी प्रकार का विवाद नही पाया गया। प्रार्थी एवं उपस्थित काश्तकारों को खसरा नम्बर 172, 173, 188, 191, 193 का सीमाज्ञान करवाकर फर्द मौका तैयार की गई जिसको पढ़कर सुनाया गया एवं उपस्थित के हस्ताक्षर करवायें गये। जिस हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है, जिसकी पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है, किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 प्रार्थी को उनके कब्जेशुदा एवं स्वामित्व की उक्त भूमि की पत्थरगढी नहीं करवाने दे रहे है तथा उक्त अप्रार्थीगण प्रार्थी के पडौसी काश्तकार व्यक्ति है, जिनका की उक्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है तथा अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की भूमि की सींव डोल में तोड–फोड करते रहते है तथा प्रार्थी की कृषि भूमि में आवारा पशुओं को प्रवेश करवाकर फसल को नुकसान कारित करते रहते है, जिस कारण प्रार्थी अपनी भूमि सीमा की आवारा पशुओं से सुरक्षार्थ तारबन्दी करना चाहता है जिस कारण यदि पत्थरगढी के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किये जाते है तो इससे किसी पक्षकार को कोई हानि नहीं होगी तथा प्रार्थी अपने कब्जेशुदा स्वामित्व की भूमि का स्पष्ट सीमांकन करवाकर उपयोग उपभोग कर सकेगा।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी वाके ग्राम अनन्तपुरा, पटवार हल्का अनन्तपुरा, भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र मोरीज, तहसील चोमू जिला जयपुर में भूमि

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 172, 173, 188, 191, 193 कुल किता 5 का कुल रकबा 2.05 हैक्टेयर की पत्थरगढी करने के अप्रार्थी संख्या 1 को आदेश फरमानें की कृपा करें।

विवादित आराजी की राजस्व रिकार्ड वर्तमान रिकार्ड व मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार चोमू से ली गई। जिसके अनुसार ग्राम अनन्तपुरा के ख0न0 172, 173, 188, 191, 193 कैलाश पुत्र जगदीश वगैरह की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। खसरा नम्बर 172, 173, 188, 191, 193 का सीमाज्ञान पटवारी हल्का अनन्तपुरा द्वारा दिनांक 26.03.2019 को किया गया हैं। उक्त भूमि मौके पर खाली पडी हुई हैं तथा उक्त खसरा नम्बर मंदिर माफी/अब्दुल रहमान स्थगन से प्रभावित नहीं हैं।

प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली, तहसीलदार रिपोर्ट एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 2 ता 8, 10, 11 बावजूद तामिल अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 9 के अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत नही करना चाहते हैं। प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 26.03.2019 को पटवारी हल्का अनन्तपुरा द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 26.03.2019 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला-जयपुर
(सतीश कराल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner